

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(2)न्याय/2008


जयपुर, दिनांक 8 FEB 2019

:: अधिसूचना ::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 12 की उपधारा (1) तथा धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11.07.2008 की क्रम संख्या-2 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है:-


क्र. सं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	बैठक का स्थान	जिला न्यायाधीश के न्यायालय का नाम
1.	वरिष्ठ सिविल एवं अतिरिक्त न्यायिक मुख्य मजिस्ट्रेट, अरनोद	अरनोद उपखण्ड	अरनोद	प्रतापगढ़

राज्यपाल के आदेश से


28/2/19
(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैच, जयपुर।
7. जिला कलेक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।
8. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
9. महानिदेशक आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ (सी.डी. सहित)।
13. प्रोग्रामर, विधि विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।


28.2.19
(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव